

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 29 / 2019

दायर दिनांक 25.11.2019

उनवान

1. मु. कालीबाई पत्नि सुरेशचन्द्र जी जाति गाडरी निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर जिला चित्तौडगढ ।

प्रार्थी

बनाम

1. मु. चुन्नीबाई पिता उदा जी जाति गाडरी निवासी उदाखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. डालु पिता वीरभाण जी जाति गाडरी निवासी उदाखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर ।


अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 12.12.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि वकील प्रार्थी हाजिर । अप्रार्थीगण हाजिर नहीं । बार—बार आवज लगाई गई हाजिर नहीं एक तरफा कार्यवाही की जाती है । वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जा स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई । पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । और यह निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भूपालसागर का 500— रूपये शुल्क पर कमिश्नर न्युक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का मूरला तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 135 व 137 कुल किता 2 व रकबा 0.52 है उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो । तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । आदेश सुनाया गया ।





(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर